संख्या 6966/चार-8(14)/73

प्रेषक,

श्री शिरोमणि शर्मा,
सचिव, उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

सांस्कृतिककार्य एवं वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग   लखनऊ: दिनांक 2 फरवरी, 1974

महोदय,

मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि नेशनल कमेटी आफ आर्कीविष्ट ने 8 जनवरी, 1973 में गोवा में हुई बै आपनी बैठक में अन्य बातों के अतिरिक्त एक प्रस्ताव पारित करके यह भी सिफारिश की है कि विभिन्न राज्य सरकारें अपनी सभी कार्यालयों में रिकार्डों की वीडिंग के लिये ट्रेण्ड आर्कीविष्ट नियुक्त करें। शासन ने नेशनल कमेटी आफ आर्कीविष्ट की उपर्युक्त सिफारिश पर विचार करने के पश्चात यह निर्णय लिया है कि आपके कार्यालय में वीडिंग कार्य के लिये नियुक्त लिपिकों को अथवा जिन्हें आप उचित समझें राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ में अभिलेखों के रख-रखाव के सम्बन्ध में 2 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाय। यह प्रशिक्षण अगले वित्तीय वर्ष से प्रारम्भ किया जायेगा। जिसमें 5 दिन अभिलेखों के रख-रखाव, उनकी व्यवस्था, उनके वर्गीकरण, स्थायी संरक्षण हेतु उनके चुनाव, उनकी सूची कैटालाग आदि बनाने के सम्बन्ध में व्याख्यान दिये जायेंगे तथा 10 दिनों तक निम्नलिखित विषयों पर प्रयोगात्मक प्रशिक्षण दिया जायेगा:-

1. अभिलेखों में निहित कीटाणुओं को विभिन्न प्रकार से विनिष्टीकरण करना।
2. अभिलेखों की विभिन्न प्रकार से मरम्मत करना।
3. अभिलेखों का सुचारू रूप से रख-रखाव।
4. स्थायी संरक्षण हेतु अभिलेखों का चुनाव।
5. अभिलेखों में से वांछित सन्दर्भों की खोज बीन करने के तरीके।

अतः अनुरोध है कि निदेशक, राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ से प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना प्राप्त होने पर आप अपने कार्यालय के कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु तदनुसार भेजने की व्यवस्था करें।

भवदीय,

ह०/शिरोमणि शर्मा,
सचिव।

सं० 6966/(1)/चार-8(14)/73 तद्दिनांक [illegible]

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही [illegible]:-

1- निदेशक, उ०प्र० राजकीय अभिलेखागार, बी-44, महानगर [illegible]
2- निदेशक राष्ट्रीय पुरालेख, भारत जनपथ नई दिल्ली-1, को [illegible] पत्र सं० 28601/चार-8(14)/73, दिनांक 22 जून, [illegible]

ह०/ [illegible]